

## भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(वंधपत्रों का निर्गमन और प्रबंध)

विनियम 1990

म. 3114/सी एडो. वणिज्/सामान्य विनियम.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से निम्न-लिखित विनियम बनाता है, यथा:—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (वंधपत्रों का निर्गमन और प्रबंध) विनियम, 1990 है।

(2) ये विनियम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन लघु उद्योग बैंक द्वारा पुरोधित और विधाय किए गए वंधपत्रों की लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो—

(क) "अधिनियम" से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 अभिप्रेत है,

(ख) "बंधपत्रों" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन लघु उद्योग बैंक द्वारा पुरोधित या विधाय किए गए वंधपत्र अभिप्रेत हैं,

(ग) "लघु उद्योग बैंक" से अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है,

(घ) "विरूपित वंधपत्र" से वह वंधपत्र अभिप्रेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग स्पष्टीकरण और प्रमाण हो गए हैं और वंधपत्र के महत्वपूर्ण भाग वे होंगे हैं जहां:

(1) वंधपत्र की मंदाय, निर्गमन, त्रिगसे वह संबंधित है, वंधपत्र का प्रकित मूल्य या वंधपत्र का मंदाय अभिविहित किया गया है, या

(2) प्लेटफॉर्म या पाने बाने का नाम लिखा है, या

(3) नवीकरण समीक्षा या अंतर्गण ज्ञापन दिया गया है।

(ङ) "प्रक्षय" से इन विनियमों की अनुसूची में दिया गया प्रक्षय अभिप्रेत है।

(च) "खो गया वंधपत्र" से वह वंधपत्र अभिप्रेत है जो वास्तव में खो गया है और वह वंधपत्र अभिप्रेत नहीं होगा जो दावेदार के प्रतिकूल किसी व्यक्ति के कब्जे में है,

(छ) "विकृत वंधपत्र" से वह वंधपत्र अभिप्रेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग विकृत, पटे या नुकसानग्रस्त हैं,

(ज) "निर्गमन कार्यालय" से लघु उद्योग बैंक का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसकी तहियों में वंधपत्र रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा,

(झ) "विविध अधिकारी" से लघु उद्योग बैंक का महाप्रबंधक या ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है जो लघु उद्योग बैंक का निदेशक बोर्ड द्वारा विनियम 11, 12, 13, 15, 17, 19, और 20 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किए जाएंगे:—

(ञ) स्टॉक प्रमाण पत्र से विनियम 3 के अधीन जारी किया गया स्टॉक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

## 3. बंधपत्रों का रूप और उनके हस्तांतरण का रंग आदि—(1) बंधपत्र

(क) किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार संदेश वचनपत्र के या

(ख) लघु उद्योग बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत स्टॉक के रूप में जिसके लिए स्टॉक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, निर्गमित किए जाएंगे।

(2) (क) बंधपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र परदेशानुसार, संदेश वचनपत्र को 1922 परमाणु धार परितान द्वारा प्रतरीणीय होगा।

(ख) बंधपत्र के रूप में जारी किए गए बंधपत्र पर कोई लेख, पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए विधिमाम्य नहीं होगा, यदि ऐसा लेख बंधपत्र द्वारा अभिहित रकम के केवल एक घंटा का प्रकरण करने के लिए तात्पर्य है।

(3) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित और लघु उद्योग बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत बंधपत्र प्रमाण 5 में प्रतरीण के दस्तावेज का निष्पादन करने या तो पूर्णतः या अंशतः प्रतरीणीय होगा। ऐसे मामलों में प्रतरीक स्टॉक के रूप में, जिससे प्रतरीण संबंधित है, निर्गमित बंधपत्रों का धारक समझा जाएगा जब तक कि प्रतरीती का नाम लघु उद्योग बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है।

(3) (क) इसमें प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी लघु उद्योग बैंक बंधपत्रों के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर बंधपत्रों के हकदार व्यक्ति के नाम में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र निर्गमित करेगा।

(ख) बंधपत्र या तो बंधपत्रों की प्रतिभूति के समय प्रारंभ में लघु उद्योग बैंक की लेखा-बहियों में प्रविष्टि के रूप में या बाद में वचन पत्र या स्टॉक के रूप में निर्गमित बंधपत्रों के संग्रहितन द्वारा निर्गमित किए जा सकेंगे।

(ग) यदि कोई बंधपत्र पहले ही वचनपत्र के रूप में निर्गमित किया जा चुका है तो लघु उद्योग बैंक में किसी खाते में प्रविष्टि के रूप में उसको धारण करने का हकदार बंधपत्र धारक प्रमाण XI में अध्यापका करेगा और लघु उद्योग बैंक की बहियों में किसी खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र को धारण करने के लिए लघु उद्योग बैंक के पक्ष में सम्भव रूप में पृष्ठांकित बंधपत्र का अभ्यर्पण करेगा।

(घ) यदि बंधपत्र स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित किया गया है तो धारक बंधपत्र का लघु उद्योग बैंक के पक्ष में प्रतरीण दग अनुरोध के साथ करेगा कि उसे बंधपत्र धारक के नाम में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण किया जाए।

(ङ) लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्रों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति प्रमाण XII में आवेदन करके बंधपत्रों को वचनपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में प्रतरीत या संपरिवर्तित करा सकेगा।

(3) (ब) लघु उद्योग बैंक की बहियों में खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र निर्गमित करने के लिए या पहले ही निर्गमित बंधपत्रों को वचनपत्र या लघु उद्योग बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में स्टॉक में संपरिवर्तित करने के लिए या बाद में बहियों में प्रविष्टि के रूप में स्टॉक को या वचनपत्र को धारण या संपरिवर्तित करने के लिए कोई भी प्रभाव नहीं है।

(2) लघु उद्योग बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में निर्गमित या धारित बंधपत्र प्रमाण XII में प्रतरीण लिखत का निष्पादन करके प्रतरीणीय होंगे। ऐसे मामलों में अंतरक ऐसे बंधपत्रों का, जिनके संबंध में अंतरण है, धारक ऐसे समय तक समझा जाएगा जब तक प्रतरीती का नाम लघु उद्योग बैंक में प्रविष्टि नहीं कर दिया जाता है।

(4) (क) बंधपत्र लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंध निदेशक के या उसके अनुपस्थिति में किसी कार्यपालक निदेशक और/या उसके महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर से निर्गमित किया जाएगा जो मुद्रित, उत्कीर्ण, लिखा किंवा हस्ताक्षरित लघु उद्योग बैंक के निदेशानुसार किसी दूसरी यात्रिक प्रक्रिया द्वारा छपा होगा।

(ख) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिखा किंवा हस्ताक्षरित छपा हुआ हस्ताक्षर उसी प्रकार विधिमाम्य होगा मानो वह हस्ताक्षरकर्ता के अपने ही उचित हस्तलेख में किया गया है।

(5) वचनपत्र के रूप में किसी बंधपत्र का कोई भी पृष्ठांकन या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में किसी बंधपत्र के मामले में प्रतरीण की कोई लिखत तब तक विधिमाम्य नहीं होगी जब तक वह धारक के या सम्भव रूप से गठित, उसके घटनी या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से नहीं की गई हो, ऐसी लिखत किसी बंधपत्र की दशा में स्वयं बंधपत्र के पृष्ठ पर वचनपत्र के रूप में और किसी स्टॉक प्रमाणपत्र की दशा में प्रतरीण की लिखत पर लिखी जाएगी।

4. न्यास मान्यता प्राप्त नहीं है :—(क) लघु उद्योग बैंक को किसी न्यास या किसी बंधपत्र को बाबत धारक के ऊपर पूर्ण अधिकार से भिन्न अधिकार को, भले ही उसका उसको सूचना हो, मान्यता देने के लिए बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा।

(ख) उप विनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लघु उद्योग बैंक, अनुप्रक्र के तौर पर और अपने किसी दायित्व के बिना, स्टॉक के रूप में निर्गमित किसी बंधपत्र के धारक द्वारा, स्टॉक के ब्याज पर या परिपक्वता मूल्य के संदाय या स्टॉक के प्रतरीण या उसके संबंध में ऐसी बातों पर निदेश जिन्हें लघु उद्योग बैंक उचित समझे, अपनी बहियों में अभिलिखित कर सकेगा।

5. न्यासियों और पदधारकों द्वारा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र धारण करने के लिए उपबन्ध : (1) कोई पदधारक स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में कोई बंधपत्र—

(क) अपने वैयक्तिक नाम में, जिसका लघु उद्योग बैंक की बहियों और स्टॉक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में वर्णन है, उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी ऐसी सहता के बिना न्यासी के रूप में, या

(ख) अपने पद के नाम में,

धारण कर सकेगा।

(2) उस व्यक्ति द्वारा जिसके नाम में बंधपत्र है, लघु उद्योग बैंक द्वारा प्रेषित प्रमाणों में लघु उद्योग बैंक को किए गए लिखित आवेदन पर और बंधपत्र के अभ्यर्पण पर लघु उद्योग बैंक—

(क) उसे अपनी बहियों में किसी विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी न्यास के विनिर्देश के बिना न्यासी के रूप में प्रविष्टि कर सकेगा और यथास्थिति, न्यास के विनिर्देश के साथ या विनिर्देश के बिना, न्यासी के रूप में उल्लिखित उसके नाम में स्टॉक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, या



(घ) उसे उसके पद नाम से स्टॉक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और उसे अपनी बहियों में, आवेदक के अनुसूची के अनुसार उसके पद नाम से स्टॉक के धारक के रूप में उल्लिखित करते हुए प्रविष्ट कर सकेगा, परन्तु यह तब जब —

(i) उक्त अनुसूची इस विनियम के उप विनियम (1) के उपबंधों के अनुरूप है,

(ii) उप विनियम (7) के निबंधनों के अनुसार लघु उद्योग बैंक द्वारा प्रेषित आवश्यक माध्य पत्र कर दिया गया हो और

(iii) यदि, बंधपत्र वचनपत्र के रूप में है तो वह लघु उद्योग बैंक के नाम पृष्ठांकित कर दिया गया है और यदि बंधपत्र स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में है तो उसकी रजिस्ट्री-कृत धारक द्वारा प्ररूप X में रसीद दी गई है।

(3) उप विनियम (1) के अधीन स्टॉक प्रमाणपत्र पदधारक द्वारा या तो प्रकेले या, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या किसी पदधारण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा।

(4) जब स्टॉक किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के नाम में धारित किया जाता है तब संबंधित स्टॉक प्रमाणपत्र से संबंधित कोई दस्तावेज उस समय उस नाम में, जिसमें स्टॉक प्रमाणपत्र धारण किया जाता है, पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा मानो उसका वैयक्तिक नाम इस प्रकार कथित है।

(5) जहाँ लघु उद्योग बैंक को बहियों में न्यासी या पदधारक के रूप में उल्लिखित स्टॉक प्रमाणपत्र धारक द्वारा निष्पादित किया गया तात्पर्य कोई अंतरण बिलेख, मुक़ारनामा या अन्य दस्तावेज लघु उद्योग बैंक को पेश किया जाता है वहाँ लघु उद्योग बैंक को इस बात की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या स्टॉक धारक किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों के निबंधनों के अधीन कोई ऐसा अधिकार देने या ऐसा बिलेख या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है, और ऐसे अंतरण-बिलेख, मुक़ारनामा या दस्तावेज पर उसी प्रकार कार्य कर सकेगा मानो निष्पादक स्टॉक प्रमाणपत्र धारक है, और चाहे अंतरण बिलेख, मुक़ारनामा या दस्तावेज में स्टॉक प्रमाणपत्र के धारक को न्यासी या पद धारक के रूप में उल्लिखित किया गया हो या नहीं और चाहे उसका न्यासी या पदधारक को अपनी हसियत से अंतरण बिलेख, मुक़ारनामा या दस्तावेज को निष्पादित करना तात्पर्य हो या नहीं।

(6) इन विनियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी न्यास या किसी दस्तावेज या नियमों के अधीन किन्हीं न्यासियों या पद धारकों और हिताधिकारियों को, न्यास गठित करने वाले लिखत के उपबंधों या उक्त संस्था के, जिसका स्टॉक प्रमाणपत्र धारक पद का धारक है, नियमों की विधि के नियमों के अनुसार न करके अन्यथा कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है और लघु उद्योग बैंक और किसी स्टॉक प्रमाणपत्र में कोई हित धारण या अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति या कोई स्टॉक प्रमाणपत्र धारक को किसी स्टॉक प्रमाणपत्र के संबंध में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के या स्टॉक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी दस्तावेज में किसी बात के कारण किसी न्यास या किसी स्टॉक प्रमाणपत्र धारक की वैयक्तिक बाध्यता की सूचना है।

(7) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद के धारक के रूप में इस विनियम के अनुसार में किए गए किसी आवेदन पर या किसी दस्तावेज पर जिसका निष्पादित किया जाना तात्पर्य है, कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग बैंक यह माध्य पत्र करने की प्रेषणा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उस पद का तत्समय धारक है।

6. न्यास/न्यासी (न्यासियों) द्वारा वचन पत्रों के रूप में निर्गमित बंधपत्र धारण करने के लिए उपबंध — (1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव होने बिना, लघु उद्योग बैंक आवेदक के अनुसूची पर प्राप्त लघु उद्योग बैंक के दायित्व के बिना, या स्थिति, किसी विनिर्दिष्ट न्यास या उक्त न्यास के न्यासी (न्यासियों) के नाम में या आवेदक के वैयक्तिक नाम में, उसे उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या ऐसे विनिर्देशों के बिना न्यासी के रूप में, वचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र निर्गमित कर सकेगा।

(2) जहाँ वचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र धारक के वैयक्तिक नाम में है वहाँ लघु उद्योग बैंक, लघु उद्योग बैंक द्वारा प्रेषित प्ररूप में उसके द्वारा किए गए आवेदन पर तथा लघु उद्योग बैंक के प्रेषण पर इस के उपविनियम (1) में अधिकाधिक रीति में वचनपत्र के रूप में नवीकृत बंधपत्र निर्गमित कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि—

(i) इसके उप विनियम (6) के निबंधनों के अनुसार लघु उद्योग बैंक द्वारा प्रेषित आवश्यक माध्य प्रस्तुत कर दिया गया हो और

(ii) बंधपत्र लघु उद्योग बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित कर दिया गया है।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन बंधपत्र किसी न्यास के न्यासी द्वारा प्रकेले या उस न्यास के न्यासियों के रूप में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त धारण किया जा सकेगा।

(4) जहाँ वचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र न्यासी के रूप में बंधपत्र धारक द्वारा पृष्ठांकित किया गया तात्पर्य है य, जहाँ बंधपत्र धारक द्वारा निष्पादित किया गया कोई मुक़ारनामा या अन्य दस्तावेज लघु उद्योग बैंक में पेश किया जाता है वहाँ लघु उद्योग बैंक को यह जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या बंधपत्र धारक किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों के निबंधनों के अधीन ऐसा पृष्ठांकन करने या ऐसा मुक़ारनामा या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है और पृष्ठांकन, मुक़ारनामा या बंधपत्र पर उसी रीति से कार्य कर सकेगा मानो ऐसा पृष्ठांकन बंधपत्र धारक है और चाहे बंधपत्र धारक पृष्ठांकन, मुक़ारनामा या दस्तावेज में न्यासी के रूप में उल्लिखित है या नहीं और चाहे न्यासी की हसियत में उसका ऐसा पृष्ठांकन करना या मुक़ारनामा या दस्तावेज निष्पादित करना तात्पर्य हो या नहीं।

(5) इन विनियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी न्यास या किसी दस्तावेज या किन्हीं नियमों के अधीन किन्हीं न्यासियों और हिताधिकारियों को न्यास को लागू होने वाले विधि के नियमों या न्यास गठित करने वाली लिखत के निबंधनों के अनुसार न करके अन्यथा कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(6) किसी व्यक्ति द्वारा किसी न्यास के न्यासी के रूप में इस विनियम के अनुसार में किए गए किसी आवेदन पर कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग बैंक यह माध्य पत्र करने की प्रेषणा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उस न्यास का तत्समय न्यासी है।

7. व्यक्ति जो धारक होने के लिए निरहित है :—कोई भी अवयस्क या कोई भी व्यक्ति जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त का पाया गया है बंधपत्रों का धारक होने का हकदार नहीं होगा।

8. व्याज का संदाय :—(1) वचनपत्र के रूप में बंधपत्र पर व्याज का संदाय, निर्गमन कार्यालय या बंधपत्र प्राप्तकर्ता में विनिर्दिष्ट लघु उद्योग बैंक के किसी दूसरे कार्यालय द्वारा बंधपत्र धारक द्वारा ऐसी प्राप्ताधिकारियों के पालन के अधीन रहते हुए, जिनकी लघु उद्योग बैंक प्रेषणा करे और बंधपत्र को पेश किए जाने पर, किया जाएगा।

(2) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में बंधपत्र पर व्याज का संदाय, भुगतान वाले के खाते में देय रेगुलर अधिपत्र जारी करके या ऐसी अन्य रीति में किया जाएगा जैसी लघु उद्योग बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। व्याज के



सदाय के समय स्टोक प्रमाणपत्र पेश करने की धमकी नहीं की जाएगी किन्तु पाने वाला अधिपत्र के पीछे उनकी प्राप्ति अभिमुखीकरण करेगा।

(3) लघु उद्योग बैंक की वस्तुओं में प्रविष्टि के रूप में धारित किसी वंधपत्र पर व्याज का सदाय लघु उद्योग बैंक द्वारा पाने वाले के लिये में देय स्थित अधिपत्र जारी करके या ऐसी अन्य रीति में किया जाएगा जैसी लघु उद्योग बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

9. वचनपत्र के रूप में वंधपत्र के खो जाने आदि पर प्रविष्टि:—

(1) जिन किसी वंधपत्र के बारे में यह प्रतिक्रिया हो कि वह खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, प्रगल्ट या पूर्णतः विकृत या विरूपित हो गया है, उसके स्थान पर उसकी प्रतिलिपि जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निर्गमन कार्यालय की सेवा जाएगा और उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगी, अर्थात्:—

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिपत्र ..... का वंधपत्र म..... (बर्ग)

(ग) पिछली छमाही जिसके लिए व्याज का सदाय किया गया है,

(घ) यह व्यक्ति जिसको उक्त व्याज का सदाय किया गया था,

(घ) वह व्यक्ति जिसमें नाम में वंधपत्र निर्गमित किया गया था (यदि ज्ञात हो),

(ङ) वंधपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने की परिस्थितियाँ, और

(च) क्या वंधपत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गई थी।

(2) ऐसे आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित भेजे जाएंगे:—

(क) जहाँ वंधपत्र रजिस्ट्री टाक में प्रेषित किए जाने के दौरान खो गया था वहाँ वंधपत्र प्रतिलिपि करने वाले पत्र की शकधर से प्राप्त रजिस्ट्री रसीद,

(ख) यदि खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति,

(ग) यदि आवेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लिया गया ऐसा ज्ञापन जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक वंधपत्र का अंतिम विधिक धारक है, और रजिस्ट्रीकृत धारक के हक का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य, और

(घ) खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित वंधपत्र का कोई बचा हुआ भाग या टुकड़ा।

10. राजपत्र में अधिमूचना:—वचनपत्र के रूप में वंधपत्र या उसके किसी भाग के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने की अधिमूचना भारत के राजपत्र और उस स्थान के जहाँ वंधपत्र खो गया या चोरी, नष्ट या विकृत या विरूपित हो गया था, किसी स्थानीय राजपत्र में, यदि कोई हो, लगातार तीन वर्षों में आवेदक द्वारा पुरस्त प्रकाशित की जाएगी। ऐसी अधिमूचना निम्नलिखित प्ररूप में या लगभग ऐसे प्ररूप में होगी जो परिस्थितियों से अनुगत हो:—

..... प्रतिष्ठित वंधपत्र ..... का ..... का भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिपत्र ..... जो मूलतः श्री ..... के नाम में है और अंतिम बार श्री ..... स्वत्वधारी को पृष्ठांकित किया गया है जिसने उक्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर्षा पृष्ठांकन नहीं किया है खो गया है/चोरी हो गया है/नष्ट हो गया है/विकृत या विरूपित हो गया है

है, अतः इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निर्गमन कार्यालय में उपर्युक्त वंधपत्र और उस पर संदेय व्याज का सदाय रोक दिया गया है और इसके स्वत्वधारी के पक्ष में इसकी एक प्रतिलिपि जारी किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाने वाला है या किया गया है। जनता को यह धनावनी दी जाती है कि वे उपर्युक्त वंधपत्र का रूप या उगम संबंधित अन्यथा कोई जैन-देन न करें।

अधिमूचित करने वाले व्यक्ति का नाम ..... निवास .....

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

11. वंधपत्र की प्रतिलिपि जारी करना और उसके लिए प्रतिपूर्ति लेना:—

(1) विनियम 10 में विहित अंतिम अधिमूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि विहित अधिकारी का, वंधपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने के संबंध में और आवेदक के दावे के प्रोचित्य के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह वंधपत्र की विनिर्दिष्टियों को विनियम 13 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित करेगा, और—

(क) यदि वंधपत्र का एक भाग ही खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, विकृत हो गया है और यदि उसका कोई ऐसा भाग पेश किया गया है जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो इसमें धार्य उल्लिखित अतिपूर्ति वंधपत्र के निष्पादन किए जाने पर विनियम 13 के अधीन सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् या उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो विहित अधिकारी आवश्यक समझे यह आदेश देगा कि व्याज का सदाय किया जाए और उस वंधपत्र के स्थान पर जिसका कोई भाग खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, विकृत या विरूपित हो गया है, आवेदक को उसकी प्रतिलिपि जारी की जाए,

(ख) यदि इस प्रकार खो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित वंधपत्र का कोई भी ऐसा भाग पेश नहीं किया गया है जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो:

(i) उक्त सूची के प्रकाशन के दो वर्ष के पश्चात् और इसमें धार्य विहित रीति में अतिपूर्ति वंधपत्र के निष्पादन किए जाने पर, इसमें धार्य उपबन्धित चार वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक, आवेदक को इस प्रकार खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित वंधपत्र की बाबत व्याज का सदाय किया जाए, और

(ii) उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष के पश्चात् आवेदक को इस प्रकार खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित वंधपत्र की प्रतिलिपि जारी की जाए, परन्तु यह कि;

(1) यदि वह तारीख जिसको वंधपत्र प्रतिसंदाय के लिए शोध्य है उस तारीख से पूर्व पड़ती है जिसको चार वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होता है तो विहित अधिकारी, पूर्वोक्त तारीख से छह महीने के भीतर वंधपत्रों पर शोध्य सूचक रकम टाकपर वचन बैंक में निहित कर देगा और इस रकम का व्याज सहित, जो उस पर ऐसे बैंक में प्रोदभूत हुआ हो, आवेदक को उस समय पर सदाय करेगा जब वंधपत्र की प्रतिलिपि प्रेषणा जारी की गई होती और



- (2) यदि बंधपत्र की प्रतिलिपि जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय मूल बंधपत्र मिल जाता है या निर्गमन कार्यालय को किसी अन्य कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्ति विनिश्चित किया जाना चाहिए तो मामला विहित अधिकारी को प्राप्ति विचारार्थ निर्देशित किया जाएगा और उग बीच इस प्रादेश पर सभी कार्रवाई निलंबित कर दी जाएगी। उग उप विनियम के अधीन पारित प्रादेश उसमें उल्लिखित चार वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अंतिम हो जाएगा जब तक कि उग बीच उग प्रादेश को विनिश्चित या अन्यथा उपानयित नहीं कर दिया जाता है।

(2) विहित अधिकारी किसी बंधपत्र की प्रतिलिपि जारी करने के पूर्व किसी भी समय यदि उसके पास पर्याप्त कारण हो इस विनियम के अधीन जारी किए गए प्राप्ति प्रादेश को परिवर्तित या रद्द कर सकेगा और यह भी निर्देश दे सकेगा कि बंधपत्र की प्रतिलिपि जारी करने के पहले का अंतराल चार वर्ष से अधिक ऐसी अवधि तक बढ़ाया जाए जो वह ठीक समझे।

### (3) क्षतिपूर्ति—

(क) (i) जब उग विनियम (1) (क) के अधीन निष्पादन का जाए तब प्रस्तुत व्याज की रकम की दुगुनी रकम के लिए प्राप्ति उस बंधपत्र पर प्रोदभूत शोध व्याज की सभी पिछली रकम की दुगुनी रकम धन उग अवधि में, जो बंधपत्र की प्रतिलिपि जारी करने के पूर्व व्यतीत होती चाहिए, उग बंधपत्र पर प्रोदभूत शोध व्याज की सभी रकम की दुगुनी रकम के लिए होगी, और

(ii) अन्य सभी मामलों में बंधपत्र के अंकित मूल्य की दुगुनी रकम धन बॉन्ड (1) के अनुसार संगणित व्याज की रकम की दुगुनी रकम के लिए होगी।

(ख) विहित अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी क्षतिपूर्ति केवल प्रावेदक द्वारा अथवा प्रावेदक या प्राप्ति द्वारा अनुमोदित एक या दो ऐसे प्रतिभूतों द्वारा जिन्हें वह उचित समझे निष्पादन की जाएगी।

12. स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में बंधपत्र के खो जाने प्रादि पर प्रक्रिया:— (1) किसी ऐसे स्टाक प्रमाण पत्र के स्थान पर जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि वह खो गया है, चोरी हो गया है, भ्रष्ट: या पूर्णत: विकृत अथवा विह्वल हो गया है, उसकी प्रतिलिपि जारी कराने के लिए प्रत्येक प्रावेदन निर्गम कार्यालय को भेजा जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित भेजे जाएंगे,

(क) यदि स्टाक प्रमाण पत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किए जाने के दौरान खो गया है तो स्टाक प्रमाण पत्र अंतर्विष्ट करने वाले पत्र की डाक घर से रजिस्ट्री रसीद,

(ख) यदि स्टाक प्रमाण पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति,

(ग) मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया ऐसा शपथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि प्रावेदक स्टाक प्रमाण पत्र का निधित धारक है और कि स्टाक प्रमाण पत्र न तो उगके कब्जे में है और न ही उसने उसे अंतरित किया है, गिरवी रखा है या अन्यथा उग पर कोई लेन देन किया है, और

(घ) आग, चोरी हो गए, लूट हो गए, विकृत या विह्वल स्टाक प्रमाण पत्र के बंध हुए कोई भाग या टुकड़े।

(2) प्रावेदन में स्टाक प्रमाण पत्र के खो जाने की परिस्थितियों का कथन किया जाएगा।

(3) यदि विहित अधिकारी का स्टाक प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, लूट हो जाने, विकृत या विह्वल हो जाने के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह मूल प्रमाण पत्र के बदले में उसकी प्रतिलिपि जारी करने का निर्देश देगा।

13. सूची का प्रकाशन — (1) विनियम 11 में निर्दिष्ट सूची भारत के राजपत्र में अर्धवार्षिक रूप में जनवरी और जुलाई में या उसके पश्चात सुविधानुसार दोध प्रकाशित की जाएगी।

(2) सभी बंधपत्र, जिनकी वास्तव प्रादेश विनियम 11 के अधीन पारित किया गया है ऐसे प्रादेश पारित किए जाने के पश्चात प्रकाशित होने वाली पहली सूची में सम्मिलित किए जाएंगे और नन्वश्चात वे बंधपत्र प्रत्येक उत्तरवर्ती सूची में तब तक सम्मिलित किए जाने रहेंगे जब तक कि प्रथम प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

(3) सूची में सम्मिलित किए गए प्रत्येक बंधपत्र के संबंध में निम्नलिखित विनिश्चितियां दी जाएंगी, अर्थात् निर्गमन का नाम, बंधपत्र का संख्यांक, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे वह निर्गमित किया गया था, वह तारीख जिससे उग पर व्याज लगेगा, प्रतिलिपि के लिए प्रावेदक का नाम, विहित अधिकारी द्वारा व्याज के संशय पर प्रतिलिपि जारी करने के लिए पारित प्रादेश का संख्यांक और तारीख और उस सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें वह बंधपत्र पहली बार सम्मिलित किया गया था।

14. लघु उद्योग बैंक का विवेकाधिकार:— विनियम 10, 11, 12 और 13 में किसी बात के होते हुए भी, जहां लघु उद्योग बैंक किसी मामले में ठीक समझता है वहां बंधपत्र की प्रतिलिपि जारी करने के संबंध में उसमें विहित प्रक्रिया से अधिभूक्ति देना और क्षतिपूर्ति के बारे में ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक समझे, या अथवा बंधपत्र की प्रतिलिपि जारी करना लघु उद्योग बैंक के लिए विधिपूर्ण होगा।

15. विकृत बंधपत्र का ऐसे बंधपत्र के रूप में अवधारण जिसकी प्रतिलिपि का जारी किया जाना अपेक्षित है:—विहित अधिकारी का यह विकल्प होगा कि वह किसी बंधपत्र को, जो विकृत या विह्वल हो गया है, ऐसे बंधपत्र के रूप में माने जिसकी विनियम 11 के अधीन प्रतिलिपि जारी किया जाना या विनियम 19 के अधीन मात्र नवीकरण अपेक्षित है।

16. बचनपत्र के रूप में बंधपत्र का नवीकरण कराने की कब अपेक्षा का जा सकेगी:— (1) बचनपत्र के रूप में बंधपत्र के किसी धारक से निर्गमन कार्यालय द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में बचनपत्र का नवीकरण कराने के लिए उस पर रसीद लिखने की अपेक्षा की जा सकेगी, अर्थात्:—

(क) यदि बंधपत्र के पीछे केवल एक और पृष्ठांकन के लिए ही पर्याप्त स्थान बचा है या यदि कोई लब्ध बंधपत्र पर वर्तमान पृष्ठांकन या पृष्ठांकनों के ऊपर लिखा गया है,

(ख) यदि निर्गमन कार्यालय की राय में बंधपत्र पटा हुआ है या किसी प्रकार में नुकसानग्रस्त या लिबाई में भरा हुआ है या टोक नहीं है,

(ग) यदि कोई पृष्ठांकन ग्राह्य और मुद्रित नहीं है या, यथास्थिति पाने वाले का या पाने वाली के नाम नहीं दर्शाता है या बंधपत्र के पीछे के पृष्ठांकन खानों में से किसी एक खाने में न करके किसी और तरीके से किया गया है,

(घ) यदि बंधपत्र पर व्याज दस वर्ष या उससे अधिक समय तक अनाहृत रहा है,



(3) यदि बंधपत्र के पीछे दिए गए स्वाक्ष के स्तंभ पूरी तरह भर गए हों या फिर इस तारीख की तब तक स्वाक्ष के आठवें स्तंभ के लिए न तो बंधपत्र प्रस्तुत किया जाता है। बंधपत्र के पीछे मद्रिग स्वाक्षी यानि उस प्रमाणपत्र के साथ भेज नहीं जाते, जिनके लिए स्वाक्ष जोध्य हो गया है।

(च) यदि स्वाक्ष के मंदाय के लिए तीन बार मुखांकित किए जाने पर बंधपत्र फिर मंदाय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, धारक

(द) यदि निम्नलिखित नियमों की रूप में स्वाक्ष के मंदाय के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हक प्रतियमित है या पूर्णतया मान्य नहीं हुआ है।

(2) जब बंधपत्र का नवीकरण करने के लिए मध्यस्थता उप विनियम (1) के अधीन की गई है, तब उस पर प्राप्ति संदेय स्वाक्ष का मंदाय करने से तब तक इंकार किया जाएगा जब तक उस पर नवीकरण के लिए रसीद नहीं लिख दी जाती है और बातचीत में उसका नवीकरण नहीं कर दिया जाता है।

17. किसी मूल प्रमाणपत्र धारक के बंधपत्र पर किम व्यक्ति के हक को मान्यता दी जा सकेगी:—(1) किसी बंधपत्र के मूल प्रमाणपत्र धारक (चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, पारसी हो या कोई अन्य) के निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अधीन उस बंधपत्र की बाबत जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निर्गमन कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होने की बिहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए मान्यता दी जा सकेगी।

(2) भारतीय अधिदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किमी बात के होते हुए भी, दो या अधिक धारकों के नाम जारी किए गए, विषय किए गए या संदेय अभिनिर्धारित बंधपत्र के मामले में एकमात्र उत्तरजीवी या एक से अधिक उत्तरजीवी और प्रथम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उनके निष्पादक, प्रशासक या अन्य कोई व्यक्ति हो जो बंधपत्र की बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक है, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे निर्गमन कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होने की (बिहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए) मान्यता दी जा सकेगी।

(3) निर्गमन कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक उन्होंने यथास्थिति, भारत में किसी मूल न्यायालय या कार्यालय से प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त नहीं किया है।

(4) उप विनियम (1), (2) और (3) में बिहित किसी बात के होते हुए भी, जहां बिहित अधिकारी अपने पूर्ण विवेक में किसी मामले में ठीक समझना है वहां, प्रोबेट या प्रशासन पत्रों या विधिक प्रतिनिधित्व पत्रों का, अधिपति के ऐसे निबंधनों पर या अन्यथा, जो वह ठीक समझे, पेश किए जाने में अभिमान देना उसके लिए विधिपूर्ण होगा।

18. नामनिर्देशन:—(1) विनियम 17 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई बंधपत्र एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता है वहां यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों को नामनिर्देशन कर सकते हैं जिन्हें, एकमात्र धारक की मृत्यु या सभी धारकों की मृत्यु की दशा में बंधपत्र पर जोध्य रकम का मंदाय दिया जा सकेगा।

परन्तु जब कोई बंधपत्र दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता है तब नामनिर्देशन सभी धारकों की मृत्यु पर ही रकम पाने का हकदार होता है।

परन्तु यह धारा कि इन विनियमों की कोई बात किमी दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी जो बंधपत्र पर जोध्य किसी रकम की बाबत किसी बंधपत्र के मूल धारक के किसी प्रतिनिधि का हो।

(2) यदि उप विनियम (1) के अधीन दो या अधिक व्यक्ति नामनिर्देशन किए जाते हैं जो बंधपत्र पर जोध्य रकम नामनिर्देशनियों में नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट रीति में बिखरित की जाएगी, और ऐसे नामनिर्देशन के प्रभाव में रकम सभी नामनिर्देशनियों में बराबर बिखरित की जाएगी।

परन्तु यदि कोई नामनिर्देशन बिद्यमान नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्देशन जोध्य रकम के केवल एक भाग के संबंध में है तो संपूर्ण रकम का या उसके उस भाग का जिसमें नामनिर्देशन संबंधित नहीं है, मंदाय विनियम 17 के उपविनियम (2) के अधीन उसके हकदार व्यक्तियों को किया जाएगा।

(3) उप विनियम (1) के अधीन कोई नामनिर्देशन, यथास्थिति एक मात्र धारक या सभी धारकों द्वारा मिलकर प्ररूप XV में किया जा सकेगा।

(4) ऐसे बंधपत्र की बाबत ही नामनिर्देशन किया जा सकेगा जो धारक की वैधविक हैसियत में धारित है, और किसी एक के धारक की रूप में किसी प्रतिनिधिक हैसियत में या अन्यथा नहीं किया जा सकेगा।

(5) जहां नामनिर्देशनी प्रवयस्क है, वहां यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति को (जो प्रवयस्क नहीं है) नामनिर्देशनी की प्रवयस्कता के दौरान बंधपत्र पर जोध्य रकम प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(6) जहां कोई बंधपत्र किसी प्रवयस्क के नाम में धारित है, वहां नामनिर्देशन यदि कोई हो, प्रवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधि पूर्ण रूप से हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(7) कोई नामनिर्देशन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को बंधपत्र के साथ प्ररूप XV में कोई आवेदन प्रस्तुत करके प्रतिस्थापित किया जा सकेगा या प्ररूप XVI में कोई आवेदन प्रस्तुत करके रद्द किया जा सकेगा।

(8) कोई नामनिर्देशन या किसी नामनिर्देशन का कोई प्रतिस्थापन या रद्दकरण लघु उद्योग बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण का तथ्य बंधपत्र पर लिखा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर, यथास्थिति, उक्त नामनिर्देशन, रद्दकरण या प्रतिस्थापन उस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिसको यह प्रस्तुत किया गया था।

(9) इस विनियम के अधीन सम्यक रूप में किए गए और रजिस्ट्रीकृत किए गए किसी नामनिर्देशन के अधीन बंधपत्र के संबंध में उन अधिकारों पर जो किसी नामनिर्देशनी ने प्रजित किए हैं, बंधपत्र की प्रतिलिपि के जारी किए जाने के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा और नामनिर्देशनी को बंधपत्र की प्रतिलिपि के संबंध में वही अधिकार होंगे जो उसके मूल बंधपत्र के संबंध में थे।

19. नवीकरण आदि के लिए रसीद:—(1) बिहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए, धारक के आवेदन पर निर्गमन कार्यालय अपने आदेश से:—

(क) धारक द्वारा बचनपत्र या बचनपत्रों के रूप में बंधपत्र या बंधपत्रों के परिदत्त कर दिए जाने पर और अपने दावे के प्रोचिप्य के संबंध में निर्गमन कार्यालय का समाधान कर देने पर, बचनपत्र या बचनपत्रों का नवीकरण, उप बिभाजन या समेकन कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि बचनपत्र या बचनपत्रों पर, यथास्थिति, प्ररूप I, II या III में रसीद लिख दी गई है, या

(ख) बचनपत्र या बचनपत्रों को रद्दक प्रमाणपत्र या रद्दक प्रमाणपत्रों में संश्लिखित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि बचनपत्र या बचनपत्रों पर निम्नलिखित पृष्ठांकित कर दिया गया है:—

“भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को मंदाय करें” या



(ग) स्ट्राक प्रमाणपत्र या स्ट्राक प्रमाणपत्रों का नवीकरण, उप-विभाजन या संयोजन कर सकेगा परंतु यह तब जब कि स्ट्राक प्रमाणपत्र या स्ट्राक प्रमाणपत्रों पर, यथास्थिति, प्रकरण VI, VII या VIII में संशोधन किया जा रहा है, या

(घ) स्ट्राक प्रमाणपत्र या स्ट्राक प्रमाणपत्रों की वचनापत्र या वचनापत्रों में संशोधन कर सकेगा परंतु यह तब जब कि स्ट्राक प्रमाणपत्र या स्ट्राक प्रमाणपत्रों पर प्रकरण IX में संशोधन किया जा रहा है, या

(ङ) एक शृंखला के बंधपत्रों को दूसरी शृंखला के बंधपत्रों में संशोधित कर सकेगा, परंतु यह तब जब कि

(i) शृंखलाओं का परस्पर संश्लेषण अनुज्ञेय है, और

(ii) ऐसे संश्लेषण को शामिल करने वाला शर्तों का पालन किया गया है।

(2) निर्गमन कार्यालय विहित अधिकारी के आदेशों के अधीन उप-विनियम (1) के अधीन किसी बंधपत्र का नवीकरण, उप-विभाजन या संयोजन करने के लिए, आवेदक से, विहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक या अधिक प्रतिभुओं सहित प्रकरण IV में क्षतिपूर्ति निष्पादित करने का आदेश कर सकेगा।

20. हफ्ते के संबंध में विवाद हो जाने में बंधपत्र का नवीकरण :— जहां किसी बंधपत्र के हफ्ते के संबंध में, जिसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया है, कोई विवाद है वहां विहित अधिकारी :

(क) जहां विवाद के किसी पक्षकार ने मक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय से ऐसे बंधपत्र का हफ्ते होने का प्रतिम धिनिश्चय अभिप्राय कर लिया है वहां ऐसे पक्षकार के पक्ष में नवीकृत बंधपत्र निर्गमन कर सकेगा, या

(ख) जब तक ऐसा धिनिश्चय अभिप्राय नहीं कर लिया जाता है तो वह बंधपत्र का नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

#### संशोधन

इस अधिनियम के प्रयोगों के लिए "प्रतिम निर्गम" पद से ऐसा धिनिश्चय अभिप्राय है जो प्रपक्षीय नहीं है या जो प्रपक्षीय है किन्तु निम्नलिखित विधि द्वारा अनुज्ञात परिणामा प्रत्यक्ष के अंतर्गत कोई प्रपक्ष नहीं की गई है।

21. नवीकृत बंधपत्र के संबंध में दायित्व आदि :—जब किसी व्यक्ति के पक्ष में विनियम 11 के अधीन बंधपत्र की अनुलिपि जारी कर दी गई है या नवीकृत बंधपत्र निर्गमित कर दिया गया है या विनियम 19 के अधीन उप-विभाजन या संयोजन होने पर नया बंधपत्र निर्गमित कर दिया

गया है तो इस प्रकार निर्गमित बंधपत्र के बारे में समझा जाएगा कि यह सभी उद्योग बैंक और ऐसे व्यक्ति और तत्पश्चात् उसकी मार्केट हक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच गुप्त तथा कठोर रहित करता है।

22. उन्मोचन :—जब उद्योग बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, उद्योग बंधपत्र या उन बंधपत्रों को बाजार या जिनके/जिनके स्वामता पर अनुलिपि, नवीकृत, उप-विभाजन या संयोजित बंधपत्र निर्गमित किया गया है / किए गए हैं—

(क) संदाय की दशा में उन तारीख में चार वर्ष बीत जाने के पश्चात्, जिसको संदाय, मोक्ष था,

(ख) अनुलिपि बंधपत्र की दशा में विनियम 13 के अधीन उन सूची के, जिसमें बंधपत्र का पड़ोस बार उन्मोचन प्रकाशन की तारीख से, या विनियम 11 में उल्लिखित मूल बंधपत्र पर ब्याज के संदाय की तारीख से, चार वर्ष बीत जाने के पश्चात्, जो भी तारीख बाद की हो।

(ग) नवीकृत बंधपत्र या उप-विभाजन या संयोजन होने पर निर्गमित किए गए बंधपत्र की दशा में, उसके निर्गमन की तारीख से चार वर्ष बीत जाने के पश्चात् उन्मोचित हो जाएगा।

23. ब्याज की बावत उन्मोचन :—बंधपत्र के निर्बंधनों में यथा, प्रत्येक धिनिश्चय रूप से उपबंधित के सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बंधपत्र पर किसी प्रबंध को बावत, जो उन पूर्वार्थ तारीख के पश्चात् बीत गई है, जिसको ऐसे बंधपत्र पर मोक्ष, रकम के संदाय के लिए मांग की जा सकती थी, ब्याज का बावत करने का हकदार नहीं होगा।

24. बंधपत्र का उन्मोचन :—(क) जब नवीकृत या स्ट्राक प्रमाणपत्र के रूप में धारित कोई बंधपत्र मूल के संदाय के लिए मोक्ष हो जाता है तब वह सभी उद्योग बैंक के ऐसे कार्यालय में जिसमें उस पर ब्याज संदेय है या निवेदन कार्यालय में, उसके पृष्ठ पर धारक द्वारा समस्त रूप से हस्ताक्षर करके, प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) जब घाते में किसी प्रबिष्टि के अंत में कोई बंधपत्र मूल के संदाय के लिए मोक्ष हो जाता है तब प्रकरण XIV में समस्त रूप से हस्ताक्षरित रसीद धारक द्वारा निर्गमन कार्यालय को दी जाएगी।

25. सभी उद्योग बैंक की ओर से क्षतियों का प्रयोग :—जब उद्योग बैंक द्वारा विनियम 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) और 8(1) के अधीन प्रयोजनक्ष क्षतियों का सभी उद्योग बैंक की ओर से प्रयोग सभी उद्योग बैंक के संबंध निदेशक और उद्योग प्रशासिक में कार्यवाहक निदेशक और या महा प्रबंधक द्वारा किया जा सकेगा।

#### अनुसूची

प्रकरण I [विनियम 19(1) (क) देखें]

बचनपत्र के रूप में बंधपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठान्त का प्रकरण

इसके बदले भारतीय सभी उद्योग विकास बैंक

(स्थान)

संदेय नवीकृत बचनपत्र प्राप्त किया।

धारक के/

(धारक का नाम)

प्रकरण II [विनियम 19(1) (क) देखें]

बचनपत्र के रूप में बंधपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठान्त का प्रकरण

इसके बदले भारतीय सभी उद्योग विकास बैंक

(स्थान)

क्रमशः

धारक के/

(धारक का नाम)

इसके बदले भारतीय सभी उद्योग विकास बैंक

(धारक का नाम)

के समस्त रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

इसके बदले भारतीय सभी उद्योग विकास बैंक

(धारक का नाम)

के समस्त रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



## प्रकरण III [धिनियम 19(1) (क) देखें]

योजना के रूप में बंधनों के समेकन के लिए पृष्ठान्त का प्रकाश

इसके अन्तर्गत में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक----- द्वारा संदेश द्वारा सहित (इसके साथ समेकित किए जाने के लिए प्राधिकृत (स्थान)

प्रत्येक बंधन (पत्रों) का/के संख्याओं और रकम (रकमों) का उल्लेख कदो हुए तथा निर्णय को विनिर्दिष्ट कदो हुए। बंधन (पत्रों) के साथ समेकन द्वारा----- इसके लिए----- को संदेश द्वारा बंधन प्राप्त किया।

(धारक का नाम)

धारक के/----- के सम्पूर्ण रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

(धारक का नाम)

## प्रकरण IV [धिनियम 19(2) देखें]

यह सब को जान हो कि हम----- जो श्री----- का पुत्र और----- (मुख्य बंधन धारक का नाम)

निवासी है और----- जो श्री----- का (प्रतिभू सं. 1)

पुत्र और----- का निवासी है तथा----- (प्रतिभू सं. 2)

जो श्री----- का पुत्र और----- का निवासी है, इसके द्वारा अपने को और हम में से प्रत्येक हमारे और हमारे बारियों, निवासियों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों में से प्रत्येक को और उन सब को संयुक्ततः और पृथक्तः भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अधीन तथा स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को (जिसे हमें प्रागे "उक्त लघु उद्योग बैंक" कहा गया है) उनके प्रतिनिधियों, उत्तरदायित्वों और समनुदेशनियों को----- इसके की राशि के संचय के लिए बाधक करते हैं।

और मैं/हमें से प्रत्येक----- उक्त लघु उद्योग बैंक के साथ प्रसंविदा करता

(मुख्य बंधन धारक) और (प्रतिभू/प्रतिभूओं का/के नाम)

हस्ताक्षर हैं कि यदि हम वास्तव या इसके नीचे लिखित शर्त के संबंध में कोई वाद लखनऊ/मुंबई उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में लाया जाता है तो यह उक्त लघु उद्योग बैंक को प्रेरणा पर ऐसे वाद में चाहे कोई भी पक्षकार क्यों न हो, उक्त उक्त न्यायालयों में मेरिमी को भेज दिया जाएगा और उसका/उसकी समुधारण मूल निहित अधिकारिता में लखनऊ/मुंबई में विचारण तथा प्रसंविदा किया जाएगा।

उक्त----- ने उक्त लघु उद्योग बैंक को इसकी अनुमोचों में उल्लिखित उक्त लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्णमित

(मुख्य बंधन धारक का नाम)

बंधन (पत्रों) के नवीकरण/समेकन/उप-विभाजन के लिए आवेदन किया है।

और उक्त लघु उद्योग बैंक उक्त----- के दो अच्छे और पर्याप्त प्रतिभूओं सहित इसके नीचे लिखित शर्त (मुख्य बंधन धारक)

के पर्याप्त रहो हुए उक्त बंधन करने और निष्पादन करने पर उक्त आवेदन को स्वीकार करने के लिए सम्मत और सहमत हो गया है।

और अगर प्रावद----- उक्त----- के अनुरोध पर (प्रतिभू/प्रतिभूओं का/के नाम) (मुख्य बंधन धारक)

के लिए प्रतिभू होने और उक्त बंधन निष्पादन करने में उक्त----- (मुख्य बंधन धारक) (मुख्य बंधन धारक)

के साथ सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गया है/हो गए हैं।

उक्त बंधन को शर्त यह है कि यदि उक्त प्रावद----- और----- या उनमें से प्रत्येक का (मुख्य बंधन धारक) (प्रतिभू/प्रतिभूओं का/के नाम)

उनके वाणिज्य, निष्पादन, प्रशासक या प्रतिनिधि या उनमें से कोई या प्रत्येक, इसका अनुमोचियों में उल्लिखित उक्त लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्णमित बंधन (बंधनों) या उन पर किसी व्याज का हस्तक्षेप होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों और उक्त बंधन (बंधनों) या उनके नवीकरण या उन पर व्याज के संचय के लिए अन्य व्यक्तियों के, चाहे कोई भी हों, सबों और भागों से और उनके विरुद्ध तथा ऐसे सभी नुकसान, हानि, खर्च, प्रभार और व्यय से जो उक्त लघु उद्योग बैंक को हानि होने वाले या भाग के लिए या उनके परिणामस्वरूप या उचित नवीकृत बंधन (बंधनों) के निर्णय के कारण या उक्त बंधन (बंधनों) का नवीकृत बंधन (बंधनों) पर जोश्व किताबों के संचय के कारण उठाने पड़े, उभरने करने पड़े या दावा होना पड़े, उक्त लघु उद्योग बैंक को समय-समय पर और उनके पर्याप्त सभी समयों पर प्रभारा डा से बचाएँ, उक्त प्रतिभूता करें, उने हानि रहित और अनिर्दिष्ट रहेंगे तब ऊपर लिखित बंधन अन्य होगा कि प्रावदों यह पूर्णतया प्रकृत और प्रभावमान रहेगा।

----- और----- (मुख्य बंधन धारक का नाम)

----- को उल्लिखित में हस्ताक्षर किए और परितस्त किया।







## प्रकरण VII [विनियम 19(1) (ग) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्र के उद्दिष्टानुसार के लिये पृष्ठांकन का प्रकरण

इस स्टॉक प्रमाणपत्र में स.-----के बदले में-----प्रतिगत  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र-----के-----द्वारे के प्रमाणपत्र प्राप्त किए  
(वर्ष)

जिस पर ग्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-----द्वारा संदेय होगा।  
(स्थान)

रजिस्ट्रीकृत धारक/सम्बन्ध रूप से प्राधिकृत  
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

## प्रकरण VIII [विनियम 19(1) (ग) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्रों के संश्लेषण के लिये पृष्ठांकन का प्रकरण

-----प्रतिगत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र,-----के-----वर्ष के  
(वर्ष)  
-----स्टॉक प्रमाणपत्र स.-----प्रतिगत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र-----  
(वर्ष)  
-----का-----वर्ष का एक स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिस पर ग्याज भारतीय लघु उद्योग विकास  
बैंक-----द्वारा संदेय होगा।  
(स्थान)

रजिस्ट्रीकृत धारक/सम्बन्ध रूप से प्राधिकृत  
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

## प्रकरण IX [विनियम 19(1) (घ) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्रों को बचतपत्रों में परिवर्तित के लिये पृष्ठांकन का प्रकरण

इस स्टॉक प्रमाणपत्र के बदले में प्रति बचतपत्र-----वर्ष के-----बचतपत्र, (सेप-----  
-----वर्ष के लिये) एक नया स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिसका ग्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-----द्वारा  
संदेय होगा।  
(स्थान)

रजिस्ट्रीकृत धारक/सम्बन्ध रूप से प्राधिकृत  
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

## प्रकरण X [विनियम 3(2) (घ) (3) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र के नवीकरण की रसीद का प्रकरण

इसमें बदले में-----के पक्ष में-----वर्ष के लिये-----प्रतिगत भारतीय  
लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र,-----का एक नवीकृत स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त किया, जिस पर ग्याज भारतीय लघु उद्योग विकास  
(वर्ष)  
-----द्वारा संदेय होगा।  
(स्थान)

(रजिस्ट्रीकृत धारक के हस्ताक्षर)



प्रारूप XI [विनियम 3(3क)(ग) देखें]

बचतपत्र के रूप में बंधपत्र को लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रविष्टि में संपरिवर्तित करने के लिये प्रत्येक

तारीख—19---

सेवा में,

प्रबंधक,

बंधपत्र अनुभाग,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,

मुम्बई/लखनऊ

महोदय,

विषय:-----प्रतिष्ठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र,------(-----शृंखला)

हम घोषित करते हैं कि बचतपत्र (बचतपत्रों) के रूप में निर्गमित कुल-----रुपये के प्रकृत मूल्य के भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र जो इसके पीछे सूचीबद्ध किये गये हैं हमारी संपत्ति हैं और अनुमोदित करते हैं कि लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में हमारे नाम में प्रविष्टि के रूप में उन्हें धारण करने के लिये हमें अनुज्ञात किया जाए जिसके लिये हम इसके साथ लघु उद्योग बैंक के पक्ष में सम्यक् रूप से पूर्णतः सुसंगत बंधपत्र स्क्रिप्ट प्रस्तुत करते हैं। उक्त व्यक्ति का/उन व्यक्तियों के नाम, पदनाम और नमूना हस्ताक्षर, जिसे/जिन्हें खाता संचालित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, इसके पीछे दिये गये हैं।

इस संबंध में हम सम्यक् रूप से स्थापित और प्रापको प्राप्त के अनुसार निश्चायित किया गया प्रापके पक्ष में क्षतिपूर्ति बिनेब इसके साथ भेज रहे हैं।

हम प्रापसे यह अनुरोध करते हैं कि लघु उद्योग बैंक में खाते के रूप में बंधपत्रों के धारण का प्रमाणन और हमारी वृत्ति का कालिक विवरण ऊपर दिये गये पते पर सम्यक् अनुक्रम में भेज दिया करें।

कृपया इस पत्र की पाबती दें।

प्रबन्धीय

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों)/या उसके  
सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के  
हस्ताक्षर-----

रजिस्ट्रीकृत धारक का/धारकों के नाम-----

इसके साथ भेजे गये बंधपत्र स्क्रिप्टों की सूची

नीचे कथित प्रकृत मूल्य (मूल्यों) में बचतपत्र

1. ----- रुपये के लिये बंधपत्र स्क्रिप्ट सं.-----तारीख------(-----शृंखला)
2. ----- रुपये के लिये बंधपत्र स्क्रिप्ट सं.-----तारीख------(-----शृंखला)
3. ----- रुपये के लिये बंधपत्र स्क्रिप्ट सं.-----तारीख------(-----शृंखला)

बंधपत्र स्क्रिप्टों का कुल प्रकृत मूल्य-----रुपये

नमूना हस्ताक्षर-----एकल/संयुक्त/प्रत्येक या उत्तरजीवी

नाम 1. -----पदनाम-----

2. -----पदनाम-----

वसा

-----  
-----  
-----  
-----

टेलीफोन-----टेलीक्स-----

अनुसूचक : (1)-----रुपये के संकलित मूल्य के बंधपत्र स्क्रिप्ट

(2) क्षतिपूर्ति बिनेब



प्रका XII [विनियम 3 (3क) (छ) देखें]

लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधनों के बटन में बंधन निर्यात करने के विषय पर प्रस्ताव।

सेवा में,

प्रबंधक,

बंधन प्रमाणपत्र,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

मुम्बई/मद्रास

महोदय,

विषय ----- % भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधन ----- (----- शृङ्खला)

हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे गये खाते में प्रविष्टि के रूप में हमारे द्वारा धारित बंधनों को यात्रा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किया गया धृति प्रमाणपत्र इसके साथ भेज रहे हैं।

हमारा प्रयत्न है कि हमारा बंधन धृति को पीछे धिये गये व्योनों के अनुसार बंधन (बचनपत्रों) के रूप में संपरिवर्तित और धनरित कर दिया जाये।

हमारा प्रयत्न है कि इस संबंध में बंधन स्विच उन बंधनों को, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित रखे जा रहे हैं, प्रतिशेष रकम का/को बावत ताबा धृति प्रमाणपत्र सहित हमारे ऊपर दिये हुए पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा हमें भेजे जायें।

कृपया हमें पत्र को पावती दें।

भवदीय

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों) या उस के सम्पर्क रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत धारक/धारकों के नाम-----

विद्यमान धृति प्रमाणपत्रों के व्योनों और बचनपत्रों की प्रवेश

1. धृति प्रमाणपत्र सं. ----- तारीख ----- रूप (----- शृङ्खला)
2. धृति प्रमाणपत्र सं. ----- तारीख ----- रूप (----- शृङ्खला)
3. धृति प्रमाणपत्र सं. ----- तारीख ----- रूप (----- शृङ्खला)

बंधनों का कुल संकित मूल्य ----- रूप है जिसके लिए नीचे कथित संकित मूल्य में बंधन स्विच जारी करने की व्यवस्था करे।

संकित मूल्य	संख्या	कुल संकित मूल्य
(1) प्रत्येक 1,000 रूप का		----- रूप
(2) प्रत्येक 10,000 रूप का		----- रूप

----- रूप के कुल संकित मूल्य ----- कुल ----- स्विच  
हमारा प्रयत्न है कि बंधनों की प्रतिशेष रकम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित रहने दी जाए।

प्रका XIII [विनियम 3 (3क) (छ) देखें]

लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधनों के धनरण का प्रका

हम, ----- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधनों के धारक (धारकों) का हैसियत में ----- रूप की सीमा तक, जो हमारी संपूर्ण बंधन धृति/उसका भाग है, अपनी धृति उस पर ----- तक प्रेषित किया जायेगा ----- को और उसके पक्ष में इसके द्वारा समनुदेशित और धनरित करते हैं।



हम जहाँ बंधनों के हमारे नाम को प्रारण निर्वाध रूप से स्वीकार करते हैं।

आज 1999 को सार्वा के रूप में हम हस्ताक्षर करते हैं।

जहाँ (विशेष) द्वारा को उपस्थिति में हस्ताक्षरित

जहाँ (केस) द्वारा को उपस्थिति में हस्ताक्षरित

टिप्पणी: (उपरोक्त का विषय यह निम्नलिखित किया जाय: कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम द्वारा व्यवसायिक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 33 (ए) के अन्तर्गत प्रमाणित किया जाता है।

#### प्रकरण XIV (विनियम 24 (घ) देखें)

लघु उद्योग बैंक में जारी में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्रों के उन्मोचन के प्रकरण

सेवा में:

प्रधान,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,

मुम्बई/मद्रास

महोदय,

विषय: 100 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र (-----) (-----) (बंधपत्र धारक) के जमा खाते में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में धारित

पत्रों की तारीख को प्रविष्टि प्राप्त सहित मूल रकम प्राप्त की। यह प्रमाणित किया जाता है कि बंधपत्र (बंधपत्रों) पर परि-  
की तारीख को प्रविष्टि प्राप्त की रकम मेरी/हमारी बहियों से मेल खाती है।

भवदीय,

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों) या उसके सम्यक  
रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत धारक का/धारकों के

नाम -----

तारीख -----

स्थान -----

#### प्रकरण XV (विनियम 18 देखें)

नामनिर्देशन/नामनिर्देशन के प्रतिस्वापन का प्रकरण

1. मैं/हम ----- निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के रूप में नाम-  
(धारक का/धारकों के नाम)

निर्देशित करता है/करते हैं कि मेरी/हमारी अवस्थित धारक की मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर शोध रकम का संदाय किया जाए:

बंधपत्र

क्रम सं.	वर्णन	गुणिम संख्यांक	निगमन तारीख	प्रकृत मूल्य
1.				
2.				
3.				



## नामनिर्देशित

नाम	पता	जन्म तिथि (यदि नाम निर्देशित अवसर है)	संदेय रकम का प्रतिगत (यु)
1.			
2.			
3.			

2. \* उक्त नाम से पर नामनिर्देशित अवसर है/है, इस लिए मे ओ/ओमती/हमारे को ऐसे नामनिर्देशित (नामनिर्देशित) की अवसर के दौरान मेरे/हमारे/अवसर धारक को मृत्यु हो जाने की दशा में उप/उन पर शोध रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नाम में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

\*\*\* यदि नामनिर्देशन मेरे/हमारे द्वारा तारीख को किए गए और भारतीय सघु उद्योग विकास बैंक की बहिवो में को रजिस्ट्रार द्वारा नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में है जो इस नामनिर्देशन के रजिस्ट्रार पर रद्द हो जाएगा।

साक्षियों के हस्ताक्षर प्राप्त पते

\*\*\* (धारक के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

② इस स्तर में प्रत्येक नामनिर्देशित को संदेय कुल रकम का प्रतिगत इशित करें।

\* इस पत्र को काट दें जब नामनिर्देशन किसी अवसर के पक्ष में नहीं है।

\*\* इस पत्र को काट दें जब नामनिर्देशन पहले किए गए नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में नहीं है।

\*\*\* यदि कोई व्यक्ति किसी अवसर के नाम में धारित है तो नामनिर्देशन अवसर को ओर से विधिवत रूप में हस्ताक्षर किया द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्रकरण XVI [विनियम 18 (7) देखें]

नामनिर्देशन को रद्द करने के लिए प्रकरण

मे/हम नीचे विनिर्दिष्ट ओर को रजिस्ट्रार, बंधपत्रों की बाबत (धारक का/धारकों के नाम) मेरे/हमारे द्वारा किए गए के नामनिर्देशन को इसके द्वारा रद्द करता हूँ/करते हैं। (तारीख)

क्रम सं.	वर्णन	गुणित संख्यांक	निर्दिष्ट तारीख	अंकित मूल्य
1.				
2.				
3.				

स्थान

तारीख

\* (धारक के हस्ताक्षर)

साक्षियों के हस्ताक्षर प्राप्त पते

(धारक का नाम)

1.  
2.

\* यदि व्यक्ति किसी अवसर के नाम में धारित है तो नामनिर्देशन का रद्दकरण अवसर को ओर से विधिवत रूप में हस्ताक्षर किया द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

धार. एम. प्रधान, प्रधान निर्देशक

पार विचार - प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय प्राथमिक विकास बैंक ने 21 जून, 1990 के अपने पत्र द्वारा भारतीय सघु उद्योग विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्माण धार प्रधान) विनियम, 1990 को अनुमोदन प्रदान किया है।

प्रबंधक (विधि)



# SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS, 1990

No. 3144 CAD.Bonds|General Regulations.—In exercise of the powers conferred by Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India, with the previous approval of the Industrial Development Bank of India, is pleased to make the following Regulations, namely :—

1. Short title and applications.—(1) These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990.

(2) They shall apply to Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of sub-section (1) of Section 15 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

2. Definitions.—In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) "the Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989;

(b) "Bonds" means the Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of sub-section (1) of Section 15 of the Act.

(c) "Small Industries Bank" means the Small Industries Development Bank of India established under the Act;

(d) "Defaced Bond" means a Bond which has been made illegible and rendered undecipherable in material parts and the material parts of a Bond are those where :—

(i) the number, the issue to which it appertains and the face value of the Bond, or payment of interest are recorded; or

(ii) the endorsement or the name of the payee is written; or

(iii) the renewal receipt or the memorandum of transfer is supplied;

(e) "Form" means a form as set out in the Schedule to these Regulations;

(f) "Lost Bond" means a Bond which has actually been lost and shall not mean a Bond which is in possession of some person adversely to the claimant;

(g) "Mutilated Bond" means a Bond which has been destroyed, torn or damaged in material parts thereof;

(h) "Office of Issue" means the office of the Small Industries Bank on the books of which a Bond is registered or may be registered;

(i) "Prescribed Officer" means the General Manager or such officers of the Small Industries Bank as may be authorised by the Board of Directors of the Small Industries Bank

for the purposes of Regulations 11, 12, 13, 15, 17, 19 and 20;

(j) "Stock Certificate" means a Stock Certificate issued under Regulation 3.

3. Form of the Bond and the mode of transfer thereof, etc.—(1) A Bond may be issued in the form of :—

(a) A promissory note payable to, or to the order of, a certain person; or

(b) Stock registered in the books of the Small Industries Bank for which Stock Certificates are issued.

(2) (a) A Bond issued in the form of a promissory note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.

(b) No writing on a Bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the Bond.

(3) A Bond issued in the form of a Stock Certificate and registered in the books of the Small Industries Bank shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form V. The transferor in such a case shall be deemed to be the holder of the Bonds issued in the form of Stock to which the transfer relates until the name of the transferee is registered by the Small Industries Bank.

(3A) (a) Notwithstanding anything to the contrary herein contained, the Small Industries Bank may at the request of the person entitled to the Bonds, issue Bonds in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the person entitled to the Bonds.

(b) The Bonds may be so issued in the form of an entry in the books of accounts of the Small Industries Bank either initially at the time of subscription to the Bonds or subsequently by conversion of the Bonds issued either in the form of a promissory note or Stock.

(c) If a Bond has already been issued in the form of a promissory note, the Bond holder desirous of holding it in the form of an entry in an account with the Small Industries Bank shall make requisition in Form XI and surrender the Bond duly endorsed in favour of the Small Industries Bank for the Bond being held in the form of an entry in an account in the books of the Small Industries Bank.

(d) If the Bond has been issued in the form of Stock Certificate, the holder shall transfer the Bond in favour of the Small Industries Bank with a request that the Bond may be held in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the holder.

(e) A person holding Bonds in the form of an entry in an account maintained by the Small Industries Bank may have the Bonds transferred or converted in the form of a promissory note or a Stock Certificate by making an application in Form XII.



(f) No fee is chargeable for issuing Bonds in the form of an entry in the account of the books of the Small Industries Bank or converting Bonds already issued either in the form of a promissory note or Stock in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank or vice versa.

(g) Bonds issued or held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be transferable by execution of an instrument of transfer in form XIII. The transferor in such cases shall be deemed to be the holder of the Bonds to which the transfer relates till such time the name of the transferee is entered in the books of the Small Industries Bank.

(4) (a) A Bond shall be issued over the signature of the Managing Director or in his absence by an Executive Director and/or a General Manager of the Small Industries Bank which may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Small Industries Bank may direct.

(b) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

(5) No endorsement of a Bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a Bond in the form of a Stock Certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative inscribed in the case of a Bond in the form of a promissory note on the back of the Bond itself and in the case of a Stock Certificate on the instrument of transfer.

4. Trust not recognised.—(1) The Small Industries Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a Bond other than an absolute right thereto in the holder.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), the Small Industries Bank may, as an act of grace and without liability to the Small Industries Bank, record in its books such directions by the holder of a Bond issued in the form of Stock for the payment of interest on, or of the maturity value of, or the transfer of or such matters relating to the Stock as the Small Industries Bank thinks fit.

5. Provision for holding Bonds issued in the form of the Stock Certificate by trustees and office holders.—(1) A Bond in the form of Stock Certificate may be held by a holder of an office—

(a) in his personal name, described in the books of the Small Industries Bank and in the Stock Certificate as a trustee whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without any such qualification; or

(b) by the name of his office.

(2) On an application made in writing to the Small Industries Bank in the form required by the Small Industries Bank the person in whose name a

2849 GI/90—5

Bond stands and on surrender of the Bond, the Small Industries Bank may—

(a) make an entry in its books describing him as a trustee of a specified trust or as a trustee without specification of any trust and issue a Stock Certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust as the case may be; or

(b) issue a Stock Certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the Stock by the name of his office, according to the applicant's request provided—

(i) the request is in conformity with the provisions of sub-regulation (1) hereof;

(ii) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of sub-regulation (7) has been furnished; and

(iii) the Bond, if it is in the form of promissory note, has been endorsed in favour of the Small Industries Bank and if in the form of Stock Certificate, has been receipted by the registered holder in Form X.

(3) The Stock Certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons or with a person or persons holding an office.

(4) When the Stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the Stock Certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the Stock Certificate is held as if his personal name were so stated.

(5) Where any transfer deed, power of attorney or other document purporting to be executed by a Stock Certificate holder described in the books of the Small Industries Bank as a trustee or as a holder of an office is produced to the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall not be concerned to inquire whether the Stock-holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document and may act on the transfer deed, power of attorney or document in the same manner as though the executant is a Stock Certificate holder and whether the Stock Certificate holder is or is not described in the transfer deed, power of attorney or document as a trustee or as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power of attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.

(6) Nothing in these Regulations shall, as between any trustees or office holder and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust the terms of the instrument constituting the trust, or the rules governing the association of which the Stock Certificate holder is a holder of an office and neither the Small Industries



Bank nor any person holding or acquiring any interest in any Stock Certificate shall by reason only of any entry in any register maintained by the Small Industries Bank in relation to any Stock Certificate or any Stock Certificate holder or of anything in any document relating to Stock Certificate be affected with notice of any trust or of the fiduciary character of any Stock Certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any Stock Certificate.

(7) Before acting on any application made, or on any document purporting to be executed, in pursuance of this Regulation by a person as being the holder of any office, the Small Industries Bank may require the production of evidence that such person is the holder for the time being of that office.

6. Provision for holding of bonds issued in the form of promissory notes by trust/trustee(s):—(1) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1) of Regulation 4, the Small Industries Bank may, at the request of the applicant and without liability to the Small Industries Bank, issue a Bond in the form of promissory note in the name of a specified trust or trustee(s) of that trust, or as the case may be, in the personal name of the applicant, describing him as a trustee, whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without such specifications.

(2) Where a Bond in the form of promissory note stands in the personal name of the holder, the Small Industries Bank may, on an application made by him in the form required by the Small Industries Bank and on surrender of such Bond, issue a renewed Bond in the form of a promissory note in the manner laid down in sub-regulation (1) hereof provided that—

(i) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of sub-regulation (6) hereof has been furnished; and

(ii) the Bond has been endorsed in favour of the Small Industries Bank.

(3) The Bond under sub-regulation (1) may be held by a trustee of any trust either alone or jointly with another person or persons as trustees of that trust.

(4) Where a Bond in the form of promissory note purports to have been endorsed by the Bond holder as a trustee, or where any power of attorney or other document purporting to be executed by the Bond holder is produced to the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall not be concerned to enquire whether the Bond holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to make such endorsement or execute such power of attorney or other document, and may act on the endorsement, power of attorney or document in the same manner as though such endorser is a Bond holder and whether the Bond holder is or is not described in the endorsement, power of attorney or document as a trustee, and whether he does or does not purport to make endorsement or execute the power of attorney or document in his capacity as a trustee.

(5) Nothing in these regulations shall, as between any trustees and the Beneficiary, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust or the terms of the instrument constituting the trust.

(6) Before acting on any application made, in pursuance of this regulation by a person as being the trustee of any trust, the Small Industries Bank may require the production of evidence that such person is the trustee for the time being of that trust.

7. Persons disqualified to be holders:—No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder of Bonds.

8. Payment of Interest:—(1) Interest on a Bond in the form of a promissory note shall be paid by the Office of Issue or any other office of the Small Industries Bank specified in the Bond Prospectus subject to compliance by the holder of the Bond with such formalities as the Small Industries Bank may require, and on presentation of the Bond.

(2) Interest on a Bond in the form of Stock Certificate shall be paid by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries Bank. The presentation of the Stock Certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge the receipt at the back of the warrant.

(3) Interest on a Bond held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be paid by the Small Industries Bank by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries Bank.

9. Procedure where Bond in the form of a promissory note is lost, etc.:—(1) Every application for the issue of a duplicate Bond in place of a Bond which is alleged to have been Lost, Stolen, Destroyed, or Mutilated or Defaced, either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue, and shall contain the following particulars, namely:—

(a) Bond No. .... for Rs. .... of the ..... Percent Small Industries Development Bank of India Bonds, .... (year)

(b) Last half-year for which interest has been paid;

(c) The person to whom such interest was paid;

(d) The person in whose name Bond was issued (if known);

(e) The circumstances attending the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement; and

(f) Whether the Loss or Theft was reported to the police.



(2) Such application shall be accompanied by:—

- (a) where the Bond was lost in the course of transmission by registered post, the Post Office registration receipt for the letter containing the Bond;
- (b) a copy of the police report, if the Loss or Theft was reported to the police;
- (c) if the applicant is not the registered holder, an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the Bond, and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder; and
- (d) any portion or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced bond.

10. Notification in Gazette :—The Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement of a Bond or portion of a Bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local official Gazette, if any, of the place where the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement occurred. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit :—

"The Small Industries Development of India Bond No. .... of the .... per cent Bond ..... for Rs. .... originally standing in the name of. .... and last endorsed to ..... the proprietor, by whom it was never endorsed to any other person (having been \*Lost|Stolen|Destroyed| Mutilated|Defaced, notice is hereby given that payment of the above Bond and the interest thereupon has been stopped at the Office of Issue, and that application is about to be made or has been made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above-mentioned Bond.

Name of the person notifying \_\_\_\_\_  
Residence \_\_\_\_\_ "

\*Delete whichever is not applicable

11. Issue of duplicate Bond and taking of indemnity :—(1) After the publication of the last notification prescribed in Regulation 10, the Prescribed Officer shall if he is satisfied of the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement of the Bond and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the Bond to be included in a list published under Regulation 13, and shall order the Office of Issue—

- (a) if only a portion of the Bond has been Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, and if a portion thereof sufficient for its identification has been produced, to pay interest and to issue to the applicant, on execution of an Indemnity such as is hereinafter mentioned a duplicate Bond in place of that of which a portion has been so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or

Defaced either immediately after the publication of the list under Regulation 13 or on the expiry of such period as the Prescribed Officer may consider necessary from the date of the publication of the said list;

- (b) if a portion of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, sufficient for its identification has been produced —

- (i) to pay to the applicant, two years after the publication of the said list, and on the execution of an indemnity in the manner hereinafter prescribed, the interest in respect of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced till the expiry of the next period of four years next as hereinafter provided; and

- (ii) to issue to the applicant a duplicate Bond in place of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced four years after the date of publication of the said list, provided that :—

- (i) if the date on which the Bond is due for repayment falls earlier than the date on which the said period of four years expires, the Prescribed Officer shall, within six weeks of the former date, invest the principal amount due on the Bond in the Post Office Savings Bank, and shall repay this amount, together with any interest which may have accrued thereon in such Bank, to the applicant at the time when a duplicate Bond would otherwise have been issued, and

- (ii) if at any time before the issue of the duplicate Bond the original Bond is discovered or it appears to the Officer of Issue for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the Prescribed Officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall, on expiry of the period of four years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescinded or otherwise modified.

(2) The Prescribed Officer may, at any time prior to the issue of a duplicate Bond, if he finds sufficient reason, alter or cancel any order made by him under this regulation and may also direct that the interval before the issue of a duplicate Bond shall be extended by such period not exceeding four years as he may think fit.

(3) Indemnities —

- (a) (i) when executed under sub-regulation (1)(a) shall before twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest accrued due on the Bond plus twice the amount of all interest to accrue due thereon during the period which will have to elapse before



the issue of a duplicate Bond can be made, and

- (ii) in all other cases shall be for twice the face value of the Bond plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (i).

- (b) the Prescribed Officer may direct that such indemnity shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two sureties approved by him as he may think fit.

12. Procedure when a Bond in form of a Stock Certificate is lost, etc. :—(1) Every application for the issue of a duplicate Stock Certificate in place of a Stock Certificate which is alleged to have been Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue and shall be accompanied by —

- (a) the Post Office registration receipt of the letter containing the Stock Certificate, if the same was lost in transmission by registered post;
- (b) a copy of the police report, if the Loss or Theft was reported to the police;
- (c) affidavit sworn before a Magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the Stock Certificate and that the Stock Certificate is neither in his possession nor has it been transferred pledged or otherwise dealt with by him; and
- (d) any portions or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced Stock Certificate.

(2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.

(3) The Prescribed Officer shall, if he is satisfied of the Loss, Theft, Destruction, Multilation or Defacement of the Stock Certificate, direct the issue of a duplicate Stock Certificate in lieu of the original Certificate.

13. Publication of list: (1) The list referred to in Regulation 11 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.

(2) All Bonds in respect of which an order has been passed under Regulation 11 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such Bonds shall continue to be included in every succeeding list until the expiration of four years from the date of first publication.

(3) The list shall contain the following particulars regarding each Bond included therein, namely, the name of the issue, the number of the Bond, its value, the name of the person to whom it was issued, the

date from which it bears interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the Prescribed Officer for payment of interest or is use of a duplicate, and the date of publication of the list in which the Bond was first included.

14. Discretion of the Small Industries Bank :— Notwithstanding anything contained in Regulations 10, 11, 12 and 13, where the Small Industries Bank deems fit, in any case, it shall be lawful for the Small Industries Bank in its absolute discretion to dispense with the procedure prescribed therein regarding the issue of duplicate Bond and issue duplicate Bond upon such terms as to indemnity or otherwise, as it may deem fit.

15. Determination of a mutilated Bond as a Bond requiring issue of duplicate :—It shall be at the option of the Prescribed Officer to treat a Bond which has been Mutilated or Defaced as a Bond requiring issue of a duplicate under Regulation 11 or a mere renewal under Regulation 19.

16. When a Bond in the form of promissory note may be required to be renewed :—(1) A holder of a Bond in the form of a promissory note may be required by the Office of Issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely—

- (a) if only sufficient room remains on the back of the Bond for one further endorsement or if any word is written upon the Bond across the existing endorsement or endorsements;
- (b) if the Bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the Office of Issue;
- (c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cages on the back of the Bond;
- (d) if the interest on the Bond has remained undrawn for ten years or more;
- (e) if the interest cages on the reverse of the Bond have been completely filled or if the vacant printed cages on the reverse of the Bond do not correspond with the half-years for which interest has become due on the date when the Bond is presented for drawal of interest;
- (f) if the Bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement; and
- (g) if in the opinion of the Office of Issue, the title of the person presenting the Bond for payment of interest is irregular or not fully provided

(2) When requisition for renewal of a Bond has been made under sub-regulation (1) payment of any further interest thereon shall be refused until it is accepted for renewal and actually renewed.



17. Person whose title to a Bond of a deceased sole holder may be recognised:—(1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a bond (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) or the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of the Bond shall be the only persons who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Bond.

(2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), in the case of a Bond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such Bond shall be the only person who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Bond.

(3) The Office of Issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, as the case may be, from a competent court or office in India.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2) and (3), where the Prescribed Officer in his absolute discretion thinks fit, in any case, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate or letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise, as he may think fit.

18. Nomination:—(1) Notwithstanding anything contained in Regulation 17, where a Bond is held by one or more persons, the sole holder or, as the case may be, all the holders together may nominate any person or persons to whom, in the event of the death of the sole holder or the death of all the holders, the amount due on the Bond may be paid.

Provided that when a Bond is held by two or more persons, the nominee shall become entitled to receive the amount only on the death of all the holders.

Provided further that nothing contained in this Regulation shall affect any claim which any representative of a deceased holder of a Bond may have against the nominee in respect of any amount due on the Bond.

(2) If two or more persons are nominated under sub-regulation (1), the amount due on the Bond shall be distributed amongst the nominees in the manner specified in the nomination, and in the absence of such specification, the amount shall be distributed equally among all the nominees.

Provided, however, that if no nomination subsists or, if such nomination relates only to a part of the amount due, the whole amount or part thereof to which the nomination does not relate, shall be paid to the persons who may be entitled thereto under sub-regulation (2) of Regulation 17.

(3) A nomination under sub-regulation (1) may be made by the sole holder or, as the case may be, all the holders together in Form XV.

(4) A nomination may be made only in respect of a Bond which is held in the individual capacity of the holder and not in any representative capacity as the holder of an office or otherwise.

(5) Where the nominee is a minor, the sole holder or as the case may be, all the holders together may appoint any person (not being a minor) to receive the amount due on the Bond during the minority of the nominee.

(6) Where a Bond is held in the name of a minor, the nomination, if any, shall be made by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

(7) A nomination may be substituted by submitting an application in Form XV or cancelled by submitting an application in Form XVI, together with the Bond, to the Small Industries Development Bank of India.

(8) A nomination or a substitution or a cancellation of a nomination shall be registered in the books of the Small Industries Bank and the fact of registration shall be noted on the Bond and, on such registration the said nomination, cancellation or substitution, as the case may be, shall be deemed to be effective from the date on which it was submitted.

(9) The rights, which a nominee has acquired in relation to the Bond under a nomination duly made and registered under this Regulation, shall not be affected by reason of the issue of a duplicate Bond and the nominee shall have the same rights in relation to the duplicate Bond as he had in relation to the original Bond.

19. Receipt for renewal; etc:—(1) Subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer, the Office of Issue may, by its order, on the application of the holder —

(a) on his delivering the Bond or Bonds in the form of promissory note or notes and on his satisfying the Office of Issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the note or notes provided the note or notes has or have been receipted in Form I, II or III, as the case may be; or

(b) convert the note or notes into a Stock certificate or Stock Certificates provided the note or notes has or have been endorsed as follows —

“Pay to the Small Industries Development Bank of India”; or

(c) renew, sub-divide or consolidate a Stock Certificate or Stock Certificates provided the Stock Certificate or Stock Certificates has or have been receipted in Form VI, VII or VIII, as the case may be; or

(d) convert the Stock Certificate or Stock Certificates into promissory note or notes



provided the Stock certificate or Stock Certificate has or have been received in Form IX, or

(c) convert the Bonds of one series into those of another provided—

(i) inter series conversion is permissible; and

(ii) the conditions governing such conversion are complied with.

(2) The Office of Issue may, under the orders of Prescribed Officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a Bond under the sub-regulation (1) to execute an indemnity in Form IV with one or more sureties approved by him.

20. Renewal of Bond in case of dispute as to title:—Where there is a dispute as to the title to a Bond in respect of which an application for renewal has been made, the Prescribed Officer may :—

(a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of competent jurisdiction declaring him to be entitled to such Bond, issue a renewed Bond in favour of such party; or

(b) refuse to renew the Bond until such a decision has been obtained.

#### EXPLANATION :

For the purposes of this Regulation, the expression "final decision" means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law.

21. Liability in respect of Bond renewed, etc :—When a duplicate Bond has been issued under Regulation 11 or a renewed Bond has been issued or a new Bond has been issued upon sub-division or consolidation under Regulation 19, in favour of a person, the Bond so issued shall be deemed to constitute a new contract between the Small Industries Bank and such person and all persons deriving title thereafter through him.

#### 22. Discharge

The Small Industries Bank shall be discharged from all liability in respect of the Bond or Bonds

paid on maturity or in place of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated Bond or Bonds has or have been issued—

(a) in the case of payment, after the lapse of four years from the date on which payment was due;

(b) in the case of a duplicate Bond after the lapse of four years from the date of the publication under Regulation 13 of the list in which the Bond is first mentioned, or from the date of the payment of interest on the original Bond, referred to in Regulation 11 whichever date is later;

(c) in the case of a renewed Bond or of a new Bond issued upon sub-division or consolidation after the lapse of four years from the date of issue thereof.

23. Discharge in respect of interest :—Save as otherwise expressly provided in the terms of the Bond, no person shall be entitled to claim interest on any such Bond in respect of any period which has elapsed after the earliest date on which demand could have been made for the payment of the amount due on such Bond.

24. Discharge of a Bond :—(a) When a Bond held in the form of promissory note or Stock Certificate becomes due for payment or principal, it shall be presented at the office of the Small Industries Bank at which interest thereon is payable or at the Office of Issue duly signed by the holder to its reverse;

(b) When a Bond in the form of an entry in the account becomes due for payment of principal, a duly signed receipt in Form XIV shall be furnished by the holder to the Office of Issue.

25. Exercise of Powers on behalf of the Small Industries Bank:—The powers exercisable by the Small Industries Bank under Regulations 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) and 8(1) may be exercised on behalf of the Small Industries Bank by the Managing Director and in his absence by an Executive Director and/or a General Manager of the Small Industries Bank.

#### THE SCHEDULE

##### FORM I [See Regulation 19 (1) (a)]

Form of endorsement for renewal of a Bond in the form of a Promissory Note

Received in lieu hereof, a renewed Note Payable to ..... with interest payable by  
(name of holder)

the Small Industries Development Bank of India, .....

(place)

Signature of the holder duly authorised representative of .....

(name of holder)

##### FORM II [See Regulation 19(1)(a)]

Form of endorsement for sub-division of a Bond in the form of a Promissory Note

Received in lieu hereof .....

Notes for Rs. ....

payable to .....

(name of holder)

the Small Industries Development Bank of India, .....

(place)

Signature of the holder duly authorised representative of .....

(name of holder)



## FORM III [See Regulation 19(1)(a)]

Form III for consolidation of Bonds in the form of Promissory Note

Rule 19(1)(a) of a new Note Payable to ..... for Rs. ....  
(name of holder)

by consolidation of Note or Notes No.(s) ..... [mentioning the number(s) and  
amount(s) of the or the Note(s) desired to be consolidated with it and specifying the issue] with interest payable by the Small  
Industries Development Bank of India, .....  
(place)

Signature of the holder duly authorized representative of

.....  
(name of holder)

## FORM-LV [See Regulation 19(2)]

Know all men by these presents that we .....  
(name of principal)

Son of ..... Resident of .....  
and ..... Son of .....  
(Surety No 1)  
of ..... Resident of .....  
and ..... Son of .....  
(Surety No. 2)

Resident of ..... hereby bind ourselves and each  
of us, our and each of our heirs, executors, administrators and representatives and all of them jointly and severally to the Small  
Industries Development Bank of India as established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (hereinafter  
called "the said Small Industries Bank") for payment of the sum of Rs. .... to the said  
Small Industries Bank, its certain attorneys, successors and assigns.

AND Each of us the said .....  
(name of Principal and Name of Surety/Sureties)

..... hereby covenant with the said Small Industries Bank that if any suit shall be brought  
touching the subject matter of this obligation or the condition hereunder written in any Court subordinate to the High Court  
of Judicature at Lucknow/Bombay, the same may, at the instance of the said Small Industries Bank, whoever may be a party  
to such suit be removed unto, tried and determined by any of the said High Courts in its extraordinary original civil  
jurisdiction at Lucknow/Bombay.

WHEREAS THE said ..... has  
(name of Principal)  
applied to the said Small Industries Bank, for the renewal/consolidation/sub-division of Bond(s) issued by the said Small  
Industries Bank mentioned in the schedule hereto.

AND WHEREAS the said Small Industries Bank has consented and agreed to accept the said application on the said .....  
..... with two good and sufficient sureties entering into and executing the above  
(name of Principal)  
written Bond subject to the condition hereunder written :

AND WHEREAS the above bounden .....  
(name of Surety/Sureties)  
at the request of the said .....  
(name of Principal)  
has/have agreed to become surety/sureties for .....  
(name of Principal)  
and to join with the said .....  
(name of Principal)  
in executing the above written bond.

Now the condition of the above written bond is such that if the above bounden .....  
(name of Principal)  
and ..... or each of them or their heirs, executors, administrators or  
(name of Surety/Sureties)  
representatives or any or either of them shall from time to time and at all times hereafter effectually save, defend, keep harmless  
and indemnified the said Small Industries Bank from and against the claims and demands of all persons claiming to be entitled  
to the Bond(s) issued by the said Small Industries Bank mentioned in the schedules hereto or to any interest thereon and of  
other persons whatsoever in respect of the said Bond(s) or the renewal thereof or the payment of interest thereon and from and  
against all damages, losses, costs, charges and expenses which the said Small Industries Bank may sustain, incur or be liable  
to for or in consequence of any such claim or demand or by reason of the issue of renewed Bond(s) as aforesaid or the payment  
of any interest due on the said Bond(s) or renewed Bond(s) then the above written bond shall be void but otherwise the same  
shall remain in full force and effect.

Signed and delivered by .....  
(name of Principal)



in the presence of ..... and of .....

Date :

The Schedule herein referred to

Nature and description of the Bond	Number	Date of Issue	Amount
------------------------------------	--------	---------------	--------

#### FORM V [See Regulation 3(3)]

##### Form of Transfer

I/We .....

(name of holder(s))

do hereby assign and transfer my/our interest or share in the inscribed Stock of the ..... per cent Small Industries Development Bank of India Bonds, ..... amounting to

(year)

Rs. .... being the amount/a portion of the Stock for Rs. .... as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto .....

(name of transferee(s))

his/her/their executors, administrators or assigns, and I/We .....

(name of holder(s))

do freely accept the above Stock transferred to the extent it has been transferred to me/us.

I/We .....

(name of transferee(s))

hereby request that on my/our being registered as the holder(s) of the Stock hereby transferred to me/us the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been transferred to me/us may be renewed in my/our name(s) conveyed in my/our name(s)

\*I/We .....

(name of holder(s))

herely request that on the above transferee(s) being registered as the holder(s) of the Stock hereby transferred to him/them the aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him/them may be renewed in my/our name(s).

As witness our hand the ..... day of ..... one thousand nine hundred and ..... signed by the above named transferor in the presence of \*\* .....

(Transferor)

Address : .....

(Transferee)

Address : .....

Signed by the above named transferee in the presence of \*\* .....

\*This paragraph is to be used only when a portion of a certificate is transferred.

\*\*Signature, occupation and address of witness.

#### FORM VI [See Regulation 19(1)(c)]

##### Form of endorsement for renewal of Stock Certificate

Received in lieu hereof a renewed Stock Certificate of the ..... per cent Small Industries Development Bank of India Bond, ..... for Rs. ....

(year)

in the ..... name of ..... with interest payable by the Small Industries Development Bank of India, .....

(place)

Signature of the registered holder/  
duly authorised representative

(name of registered holder)

#### FORM VII [See Regulation 19(1)(c)]

##### Form of endorsement for sub-division of a Stock Certificate

Received in lieu of this Stock Certificate No. .... Stock Certificates for Rs. .... respectively of the ..... per cent Small Industries Development Bank of India Bonds, ..... with interest payable by the

(year)

Small Industries Development Bank of India, .....

(place)

Signature of the registered holder/  
duly authorised representative

(name of registered holder)



## FORM VIII [See Regulation 19(1)(c)]

Form of endorsement for consolidation of Stock Certificates

Received in lieu of Stock Certificate Nos. .... for Rs. ....  
 respectively of the ..... per cent Small Industries Development Bank of India Bonds, .....  
 (year)  
 a Stock Certificate for Rs. .... of the ..... per cent  
 Small Industries Development Bank of India Bonds, ..... with interest payable by the  
 (years)  
 Small Industries Development Bank of India, .....  
 (place)

Signature of the registered holder/  
 duly authorised representative

.....  
 (name of registered holder)

## FORM IX [See Regulation 19(1)(d)]

Form of endorsement for conversion of Stock Certificates into Promissory Notes

Received in lieu of this Stock Certificate ..... Promissory  
 Notes of Rs. .... each together with a new Stock  
 Certificate for the balance amounting to Rs. .... with interest  
 payable by the Small Industries Development Bank of India, .....  
 (place)

Signature of the registered holder/  
 duly authorised representative

.....  
 (name of registered holder)

## FORM X [See Regulation 5(2)(b)(iii)]

Form of receipt for renewal of a Bond issued in the form of Stock Certificate

Received in lieu hereof a renewal Stock Certificate of the ..... per cent Small  
 Industries Development Bank of India Bonds, ..... for Rs. ....  
 (year)  
 in favour of ..... with interest payable by the Small Industries  
 Development Bank of India, .....  
 (place)

.....  
 (Signature of registered holder)

## FORM XI [See Regulation 3(3A)(c)]

Requisition for conversion of Bond in the form of Promissory Note into an entry in the account with the Small Industries Bank

To :  
 Manager,  
 Bonds Section,  
 Small Industries Development Bank of India,  
 Bombay/Lucknow.

Date ..... 19.....

Dear Sir,

Re : ..... % Small Industries Development Bank of India Bonds ..... (..... Series)

We hereby declare that the Small Industries Development Bank of India Bonds issued in the form of Promissory Note(s) of the aggregate face value of Rs. .... listed on the reverse is/are our property and request that we may please be allowed to hold the same in the form of an entry in the account to be maintained by the Small Industries Bank in our name for which purpose we are surrendering herewith the relevant bond scrips duly endorsed in favour of the Small Industries Bank. The name, designation and specimen signature(s) of the person(s), who has/have been authorised to operate the account are as per details given on the reverse.

In this connection, we are enclosing hereto deed of indemnity in your favour, duly stamped and executed on our behalf as per your draft.

We request you to kindly send to us in due course certificate of holding of bonds in form of an account with the Small Industries Bank and periodic statement of our holding at the address given above.

In the meanwhile please acknowledge receipt.

Yours faithfully,  
 Signature(s) of the registered holder(s)/  
 or his duly authorised representative

.....  
 Name(s) of registered holder(s)



## LIST OF BOND SCRIPS ENCLOSED HERETO

Promissory Note(s) in denomination(s) as stated below :

1. Bond Scrip No. .... dated ..... for Rs. ....  
..... (..... Series).
2. Bond Scrip No. .... dated ..... for  
Rs. .... (..... Series).
3. Bond Scrip No. .... dated ..... for  
Rs. .... (..... Series).

Aggregate face value of the Bond Scrrips Rs. ....

Specimen Signature(s) .....

Singly/Jointly/Either or Survivor

Name. 1. ....

Designation .....

2. ....

Designation .....

Address .....

Telephone : .....

Telex : .....

Enclosed (i) Bond Scrrips for aggregate value of Rs. ....  
(ii) Deed of Indemnity.

## FORM XII [See Regulation 3(3A)(c)]

Requisition for issue of Bond scrrips in lieu of the Bonds held in the form of entry in the account with the Small Industries

Bank

To :

Manager,

Bonds Section,

Small Industries Development Bank of India,

Bombay/Lucknow.

Dear Sir,

Re : .....% Small Industries Development Bank of India Bond.....(.....Series)

We are forwarding herewith the certificate of holding issued by the Small Industries Development Bank of India in respect of the Bonds held by us in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

We request that our Bond holdings may please be converted and transferred in the form of promissory note(s), as per details given on the reverse.

We request that Bond Scrrips in this regard may please be forwarded to us by registered post at our address given above, alongwith the fresh certificate of holding in respect of the balance amount of the Bonds that are continued to be held in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

In the meanwhile please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Signature(s) of the registered  
holder(s)/or his duly

authorised representative .....

Name(s) of the registered holder(s) .....

Details of existing certificates of holding and requirement  
of promissory notes.

1. Certificate of Holding No. .... dated...  
Rs. .... (..... Series)
2. Certificate of Holding No. .... dated  
Rs. .... (..... Series)
3. Certificate of Holding No. .... dated  
Rs. .... (..... Series)

Aggregate face value of Bonds Rs. .... of which, please arrange to issue Bond Scrrips in  
denominations as stated below :

Denominations	Number	Aggregate face value
(1) Rs. 1,000 each x		= Rs.
(2) Rs. 10,000 each x		= Rs.
Total.....		

We request that the balance amount of the Bonds may continue to be held in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.



## FORM XIII [See Regulation 3(3A)(g)]

Form of transfer of Bonds in the form of an entry in the account with the Small Industries Bank

We, ..... as the holder(s) of the Bonds in the form of an entry in an account with the Small Industries Development Bank of India do hereby assign and transfer our holding to the extent of Rs. .... being the entire/portion of our Bond holding together with accrued interest thereon upto ..... to and in favour of .....

We, ..... do freely accept the transfer of the above Bonds to our name.

Witness our hand this ..... day of ..... 19 .....

Signed by the above named ..... (Seller)

in the presence of .....

Signed by the above named ..... (Buyer)

in the presence of .....

Note : To be stamped in accordance with Article 62(c) of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended by the Local Stamp Act of the State in which it is executed).

## FORM XIV [See Regulation 24(b)]

Form of discharge for the Bonds held in the form of entry in the account with the Small Industries Bank

To :

Manager,

Bonds Section,

Small Industries Development Bank of India,

Bombay/Lucknow.

Dear Sir,

Re :-----% Small Industries Development Bank of India Bond(s).....(.....Series)

Received the principal amount with accrued interest on the date of maturity on the Captioned Bond(s) of the nominal face value of Rs. .... (Rupees ..... only) held in form of an entry in the books of the Small Industries Development Bank of India to the credit of ..... (bond holder). It is certified that the nominal amount of the Bond(s) and the accrued interest as on date of maturity agree with my/our books.

Yours faithfully,

Signature(s) of the registered holder(s)/or his duly authorised representative .....

Name(s) of registered holder(s) .....

Date :

Place :

## FORM XV [See Regulation 18]

Form of nomination—substitution of nomination

1. I/We, ..... nominate the following

[Name(s) of the holder(s)]

person(s) to whom, in the event of my/our/minor holder's death, the amount due on the Bonds specified below may be paid:

## BONDS

Sr. No.	Description	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value
1.				
2.				
3.				

## NOMINEE(S)

Name	Address	Date of Birth (if the nominee is a minor)	Percentage of amount payable @
1.			
2.			
3.			

2. \*As the nominee(s) at serial No.(s) ..... above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt./Kumari ..... as the person to receive the amount due thereon in the event of my/our/minor holder's death during the minority of such nominee(s).

(Name and Full address)



3. \*\*This nomination is in substitution of the nomination dated.....made by me/us and registered in the books of the Small Industries Development Bank of India on ..... which shall stand cancelled on registration of this nomination.

\*\*\* (Signature of the holder)

Signatures and address of witnesses :

1.

Place :

2.

Date :

u. Indicate in this column the percentage of total amount payable to each nominee.

• Strike out this paragraph when the nomination is not in favour of a minor.

\*\* Strike out this paragraph when the nomination is not in substitution of one already made.

\*\*\* If a Bond is held in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

FORM XVI [See Regulation 18(7)]

#### Form of cancellation of nomination

I/We.....do hereby cancel the nomination dated.....[Name(s) of the holder(s)]

.....made by me/us in respect of the Bonds specified below and registered on.....

Sr. No.	Description	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value
1.				
2.				
3.				

Place :

Date :

\*(Signature of the holder)

.....  
(Name of the holder)

Signatures and address of witnesses :

1.

2.

If the Bond is held in the name of a minor, the cancellation of nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

(R. S. AGRAWAL,  
Managing Director.

FOOT NOTE : Certified that Industrial Development Bank of India have given approval to Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990 vide their letter dt. June 21, 1990.

Manager (Legal)